

# अन्तर्राष्ट्रीय विधि

लेखक  
चार्ल्स० जी० फ्रेनविक

अनुवादक  
काशीप्रसाद मिश्र  
गौरीनाथ रस्तोगी

खंड 1

9557

M.M. College Library  
FATEHABAD (Hissar)

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग,  
शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार की  
मानक ग्रंथ योजना के अन्तर्गत प्रकाशित

# विषय-सूची

## खण्ड १

### भाग एक

#### अन्तर्राष्ट्रीय-विधि की प्रकृति

##### अध्याय एक—अन्तर्राष्ट्रीय-विधि की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

क. अन्तर्राष्ट्रीय-विधि एक क्रम-निर्दिष्ट दाय	.....	.....	१
एकीकृत समुदाय की विधि नहीं	.....	.....	१
एकीकरण और विभेदमूलक प्रवृत्तियों की पारस्परिक-क्रिया	.....	.....	२
ख. प्राचीन समय में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध : पूर्वी-राज्य	.....	.....	४
भारत और चीन	.....	.....	५
यूनानी नगर-राज्य	.....	.....	५
रोम एक नगर-राज्य के रूप में	.....	.....	६
ग. पवित्र रोमन-साम्राज्य	.....	.....	११
सामन्त प्रथा के परिणाम	.....	.....	१२
चर्च का प्रभाव	.....	.....	१३
राष्ट्रिक राज्यों का गठन	.....	.....	१३
तीस वर्षीय युद्ध	.....	.....	१५
घ. वेस्टफेलिया की शान्ति एवं राज्यों की संप्रभुता	.....	.....	१६
शक्ति-संतुलन	.....	.....	१६
सन् १६४८ से फ्रांसीसी क्रान्ति तक का काल	.....	.....	१७
सन् १७८९ से सन् १८१५ तक का काल	.....	.....	१८
नैपोलियन युग	.....	.....	१९
ङ. वियना-सम्मेलन और उसके परिणाम	.....	.....	२०
पवित्र संश्रय	.....	.....	२०
मुनरो सिद्धान्त	.....	.....	२२
शक्ति संतुलन	.....	.....	२३
यूरोपीय राजमण्डल	.....	.....	२४
च. सम्मेलनों द्वारा विधि का विकास : आर्थिक और सामाजिक हित	.....	.....	२५
सन् १८६६ की हेग-कान्फ्रेन्स	.....	.....	२५

सन् १९०७ की कांफ्रेंस	.....	२६
लन्दन का घोषणा-पत्र	.....	२६
विधि के दोष	.....	२७
छ. विश्व-युद्ध का परिणाम	.....	२८
ज. राष्ट्र-संघ की प्रसंविदा	.....	२९
अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के ढाँचे में परिवर्तन	.....	३०
सन् १९१९ से १९३९ का समय	.....	३०
झ. द्वितीय विश्व-युद्ध	.....	३३
नवीन सुरक्षा के व्यवस्था के प्रस्ताव	.....	३४
<b>अध्याय दो—अन्तर्राष्ट्रीय-विधि की प्रकृति एवं क्षेत्र</b>		
क. अन्तर्राष्ट्रीय-विधि की परिभाषा	.....	३६
प्रस्तुत समस्याएँ	.....	३६
संक्रमण में अन्तर्राष्ट्रीय-विधि	.....	३७
ख. अन्तर्राष्ट्रीय-विधि का आधार	.....	३८
राज्यों का एक समुदाय	.....	३९
संप्रभुता का सिद्धान्त	.....	३९
ग. अन्तर्राष्ट्रीय-विधि की बन्धनकारी शक्ति	.....	४१
विधि के आधार-रूप में सहमति का सिद्धान्त	.....	४१
सन्धि का सद्भाव (पैक्टा सुं ट सरवेंडा)	.....	४२
विधि की आवश्यकता	.....	४३
घ. अन्तर्राष्ट्रीय विधायन	.....	४४
विधिकारी संधियाँ	.....	४५
सन् १९१९ के बाद विकास	.....	४५
अन्तर्राष्ट्रीय-विधि का सीमित क्षेत्र	.....	४६
विधि से बाहर के विषय	.....	४७
ङ. परस्पर विरोधी दावों के मामलों में अन्तर्राष्ट्रीय-विधि की व्याख्या	.....	४८
स्वेच्छाचारी निर्णयों पर अवरोध	.....	४९
च. अन्तर्राष्ट्रीय-विधि का प्रवर्तन	.....	५०
युद्ध अन्तर्राष्ट्रीय-विधि की अनुशास्ति रूप में	.....	५१
आक्रमण आत्म-रक्षा के रूप में	.....	५२
छ. विधि का आस्टिनवादी सिद्धान्त	.....	५३
ऐतिहासिक विधि-शास्त्र का पंथ	.....	५४
ज. राष्ट्र-संघ और विधि का नियम	.....	५६
राष्ट्र-संघ की विफलता के कारण	.....	५७

भ. विधि के अत्यावश्यक-सिद्धान्त : संयुक्त-राष्ट्र का चार्टर	५७
चार्टर एवं संप्रभुता का सिद्धान्त	५६
संप्रभुता का नवीन अर्थ	५६
अन्तर्राष्ट्रीय-विधि स्थैतिक नहीं गतिशील है	६१
अन्तर्राष्ट्रीय-विधि एवं अन्तर्राष्ट्रीय नीति-शास्त्र	६२
राष्ट्रों का राष्ट्र-मण्डल	६३
<b>अध्याय तीन—अन्तर्राष्ट्रीय-विधि का विज्ञान</b>	
क. शीर्षक का अर्थ "अन्तर्राष्ट्रीय-विधि का विज्ञान"	६६
ख. प्राकृतिक-विधि के संकल्पन का प्रभाव	६६
प्राचीन यूनानियों की प्राकृतिक-विधि	६७
रोमन न्यायाधिकरणों की अन्तर्राष्ट्रीय-विधि	६८
ग. ईसाई शिक्षाओं का प्रभाव	६६
युद्ध पर अवरोध	७०
न्यायपूर्ण युद्ध का सिद्धान्त	७१
जस्टोनियन की संहिता का प्रभाव	७१
ईसाई धर्म-विधि का प्रभाव	७२
ग्रोशस के पूर्वाधिकारी	७२
ड. अन्तर्राष्ट्रीय-विधि के पंथ	७८
प्रकृतिवादी	७८
ग्रोशसवादी	७६
राष्ट्रों पर लागू प्रकृति की विधि	८०
व्यवहारवादी	८२
आधुनिक ग्रन्थ : ब्रिटिश	८३
संयुक्त-राज्य	८५
जर्मन	८६
यूरोपीय महाद्वीपीय एवं लैटिन-अमेरिकी	८८
अन्तर्राष्ट्रीय-विधि के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के परिणाम	८६
सन् १९२० से विकास	९०
सामान्य ग्रन्थ	९२
निबन्ध : सिद्धान्त का क्षेत्र	९४
सारभूत-विधि का क्षेत्र	९८
अन्तर्राष्ट्रीय संगठन	९८
<b>अध्याय चार—अन्तर्राष्ट्रीय-विधि के नियमों का निर्धारण</b>	
क. समस्या की कठिनाइयाँ	१०२

ख. अन्तर्राष्ट्रीय-विधि के स्रोत	१०२
ग. उचित और अनुचित के सामान्य सिद्धान्त	१०३
सिद्धान्त से व्यवहार में संक्रमण	१०४
सामान्य सिद्धान्त विधि के पृथक् स्रोत के रूप में	१०६
घ. रीति-रिवाज अन्तर्राष्ट्रीय-विधि के स्रोत के रूप में	१०६
प्रथागत-विधि के साक्ष्य	१०८
अन्तर्राष्ट्रीय-विधिवेत्ताओं की रचनायें साक्ष्य रूप में	१०९
अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालयों के निर्णय	११०
राष्ट्रिक न्यायालयों के निर्णय	११०
अधिकृत प्रलेख	११३
ड. संधियाँ अन्तर्राष्ट्रीय-विधि के स्रोत के रूप में	११३
“विधिकारी संधियाँ”	११४
हेग शान्ति कान्फ्रेन्स के अभिसमय	११५
सन् १९२० से बहुपक्षीय संधियों में वृद्धि	११६
च. अन्तर्राष्ट्रीय कान्फ्रेन्सों के प्रस्ताव	११७
छ. अन्तर्राष्ट्रीय-विधि का संहिताकरण	११७
अर्थ जिनमें शब्द प्रयुक्त किया गया	११८
औपचारिक संहितायें	१२०
युद्ध की विधियों का संहिताकरण	१२१
राष्ट्र-संघ के तत्वावधान में संहिताकरण	१२२
वैज्ञानिक समुदायों द्वारा, संहिताकरण	१२३
अन्तर-अमेरिकी विधि का संहिताकरण	१२५
संहिताकरण का भविष्य	१२८

#### अध्याय पाँच—अन्तर्राष्ट्रीय-विधि का देशिक-विधि से सम्बन्ध

क. विभिन्न क्षेत्र, जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय-विधि लागू होती है	१३०
संघर्ष के क्षेत्र	१३१
संधियों के अन्तर्गत दायित्व	१३३
ख. देशिक-विधि द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय-विधि का प्रवर्तन	१३५
ब्रिटेन का व्यवहार	१३५
संयुक्त-राज्य का व्यवहार	१३८
विधायी उपाय	१३९
अन्य राज्यों का व्यवहार	१४०
ग. सामान्य नियम के विशिष्ट विनियोग	१४३

## भाग दो

## राष्ट्रों के समुदाय का संगठन

## अध्याय छः—समुदाय या “राष्ट्रों का परिवार”

क. राष्ट्रों के समुदाय का ऐतिहासिक संकल्पन	१४६
समुदाय की वृद्धि	१४६
ख. समुदाय का वैधिक स्वरूप	१५०
अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेसें और सम्मेलन	१५१
ग. राज्य अन्तर्राष्ट्रीय-विधि के व्यक्ति रूप में	१५३
राष्ट्रों का सामूहिक स्वरूप	१५४
निश्चित प्रदेश की आवश्यकता	१५५
राजनीतिक स्वाधीनता की सीमा	१५६
घ. राष्ट्रों के समुदाय में सदस्यता : “संप्रभु राज्य”	१५७
तटस्थीकृत राज्य	१५८
शतों के साथ राष्ट्रों के परिवार में प्रविष्ट राज्य	१६३
सन् १९१९ की संधियों के प्राविधान	१६४
क्यूबा की मुक्ति	१६५
पनामा, हैटी एवं डोमिनिकन गणराज्य	१६६
फिलीपीन गणराज्य	१६८
ङ. राष्ट्रों के समुदाय में सीमित या अर्हतायुक्त सदस्यता : आश्रित राज्य	१६०
श्रवराज्य	१७१
संरक्षित-राज	१७५
प्रशासित प्रान्त	१७६
राज्यमंडल के सदस्य	१८०
“वास्तविक यूनियन”	१८१
संधीय राज्य के सदस्य	१८२
ब्रिटिश-राष्ट्रमंडल के सदस्य	१८२
वेटिकन नगर	१८६
डानज़िग का स्वाधीन नगर	१८७
ट्रीस्ट का स्वाधीन प्रदेश	१८८
च. राष्ट्रसंघ की प्रादेश-पद्धति के अन्तर्गत प्रदेश	१८९
सीरिया, ईराक, फिलस्तीन, ट्रान्सजोर्डन	१८९
संयुक्त-राष्ट्र की न्यासपद्धति	१९१
छ. युद्धरत समुदाय	१९२

ज. अन्तर्राष्ट्रीय-विधि में व्यक्ति की स्थिति	.....	.....	१६३
विधि के विषय एवं उद्देश्य	.....	.....	१६३
यह दृष्टिकोण कि केवल राज्य विधि के विषय है	.....	.....	१६५
यह दृष्टिकोण कि मनुष्य विधि के विषय है	.....	.....	१६६
आधारभूत मानवीय अधिकारों की मान्यता	.....	.....	२०१
<b>अध्याय सात—अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व का अर्जन एवं हानि :</b>			
<b>राज्यों का उत्तराधिकार</b>			
क. अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व का अर्जन : मान्यता की प्रक्रिया	.....	.....	२०५
यूरोपीय समुदाय के बाहर के राज्यों का प्रवेश	.....	.....	२०७
विद्रोही प्रदेशों को मान्यता : आत्मनिर्णय का सिद्धान्त	.....	.....	२११
सफल विद्रोहों द्वारा मुक्ति	.....	.....	२१२
राष्ट्र-जातियों का सिद्धान्त	.....	.....	२१४
सन् १९१४-१९१८ के विश्व-युद्ध का परिणाम	.....	.....	२१६
अटलांटिक चार्टर के प्राविधान	.....	.....	२१८
संयुक्त-राष्ट्र चार्टर के प्राविधान	.....	.....	२१९
ख. युद्ध-संलग्नता को मान्यता	.....	.....	२२१
मान्यता के परिणाम	.....	.....	२२२
मान्यता के समय के सम्बन्ध में विवाद	.....	.....	२२२
राज्य-प्रतिरोध को मान्यता	.....	.....	२२३
ग. जनसंख्या एवं प्रादेशिक क्षेत्र के परिवर्तन का प्रभाव	.....	.....	२२५
घ. अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व का विलोप अथवा हानि :	.....	.....	
स्वेच्छापूर्णा कार्य द्वारा	.....	.....	२२६
बलात् समामेलन द्वारा	.....	.....	२२७
ड. राज्यों का उत्तराधिकार	.....	.....	२३०
सार्वदेशिक उत्तराधिकार	.....	.....	२३१
आंशिक उत्तराधिकार	.....	.....	२३२
सार्वदेशिक उत्तराधिकार की शर्तें	.....	.....	२३२
आंशिक उत्तराधिकार की शर्तें	.....	.....	२३५
नवीन राज्य के अधिकार एवं दायित्व	.....	.....	२३६
सन् १९१९ की संधियों के प्राविधान	.....	.....	२३७
हस्तान्तरित प्रदेश के निवासियों की स्थिति	.....	.....	२३८
<b>अध्याय आठ—अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व का सातत्य : नवीन सरकारों की मान्यता</b>			
क. नवीन सरकारों की मान्यता एवं नवीन राज्यों की मान्यता में भेद	.....	.....	२३९
ख. अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व का सातत्य	.....	.....	२४०

ग. नवीन सरकारों की मान्यता का नियमन करने वाले सिद्धान्त	....	२४१
संवैधानिक प्रक्रियाओं के उल्लंघन से समस्याओं का जन्म	....	२४२
तथ्यतः स्वरूप का वस्तुपरक परीक्षण	....	२४३
दायित्वों को पूर्ण करने की इच्छा का विषयगत परीक्षण	....	२४५
घ. अमान्यता को प्रभावित करने में राजनीतिक विचार :		
फ्रांसीसी-क्रान्ति	....	२४८
लैटिन अमेरिकन क्रान्तियाँ	....	२५०
मान्यता हस्तक्षेप का रूप बन जाता है	....	२५२
रूस की सोवियत सरकार	....	२५२
स्पेन का मामला	....	२५५
ङ. अन्तर-अमेरिकी नीति का विकास : अमान्यता क्रान्तियों की		
हतोत्साहित करने के साधन-रूप में : टोवर सिद्धान्त	....	२५६
मेक्सिको का विवाद	....	२५७
विधि के संहिताकरण का प्रयास	....	२५८
इस्ट्रेडा सिद्धान्त	....	२६०
सन् १९४३ का मान्टेविडो प्रस्ताव	....	२६२
विचारणीय प्रश्न	....	२६४
च. अनुपस्थित सरकारों की मान्यता : विश्व-युद्ध से उत्पन्न		
होने वाली समस्यायें	....	२६५
स्पेन की गणराज्यवादी सरकार का मामला	....	२६६
छ. अर्हतायुक्त अथवा अन्तरिम मान्यता	....	२६६
औपचारिक मान्यता का पूर्वव्यापी प्रभाव	....	२६७
राज्य-प्रतिरोधी सरकारों की मान्यता	....	२६८
<b>अध्याय नौ—संयुक्त-राष्ट्र-संघ</b>		
क. संयुक्त-राष्ट्र-संघ का उद्गम	....	२७०
ख. चार्टर : प्रस्तावना	....	२७१
प्रयोजन एवं सिद्धान्त	....	२७२
ग. संयुक्त-राष्ट्र की सदस्यता	....	२७४
सदस्यों का निलम्बन एवं निष्कासन	....	२७५
घ. संयुक्त-राष्ट्र का वैधिक स्वरूप : राष्ट्र-संघ की अनुरूपता	....	२७७
एक राज्य-मंडल ?	....	२७८
संयुक्त-राष्ट्र का सामूहिक स्वरूप	....	२७९
ङ. मुख्य एवं गौण अंग	....	२८०
महासभा	....	२८१



सुरक्षा-परिषद्	.....	.....	२८२
आर्थिक एवं सामाजिक परिषद्	.....	.....	२८५
न्यास-परिषद्	.....	.....	२८५
अन्तर्राष्ट्रीय-न्यायालय	.....	.....	२८६
सचिवालय	.....	.....	२८६
विशिष्ट अभिकरण	.....	.....	२८७
च. संयुक्त-राष्ट्र के कार्य	.....	.....	२८८
शान्ति एवं सुरक्षा का पोषण	.....	.....	२८८
राजनीतिक क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	.....	.....	२८४
आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में सहयोग	.....	.....	२८४
न्यास-प्रदेशों के प्रशासन का पर्यवेक्षण	.....	.....	२८५
छ. संयुक्त-राष्ट्र एवं उसके सदस्यों में सम्बन्ध	.....	.....	२८६
ज. चार्टर में संशोधन	.....	.....	२८६
चार्टर का सामान्य परिशोधन	.....	.....	२८७
<b>अध्याय दस—अन्तर्राष्ट्रीय संगठन : प्रादेशिक वर्ग</b>			
क. सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रीय यूनियनें	.....	.....	२८८
अन्तर्राष्ट्रीय यूनियनों का वैधिक स्वरूप	.....	.....	३००
यूनियनों का संगठन	.....	.....	३००
नीतियों एवं कार्यों का नियन्त्रण	.....	.....	३०१
प्रशासनिक ब्यूरो	.....	.....	३०२
राज्यों का बहुगुणक प्रतिनिधित्व	.....	.....	३०३
ख. विशेष निर्वद्ध आयोग एवं अभिकरण : राइन आयोग	.....	.....	३०४
डैन्यूब आयोग	.....	.....	३०५
ग. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संगठन	.....	.....	३०६
घ. अर्ध-सार्वजनिक संगठन	.....	.....	३०७
सार्वजनिक कार्यों को करने वाले गैर-सरकारी संगठन	.....	.....	३०८
ड. अन्तर-अमेरिकी प्रादेशिक वर्ग	.....	.....	३०९
संगठन का न्यायिक स्वरूप	.....	.....	३१०
मौलिक सिद्धान्त	.....	.....	३११
नीति-निरूपक अंग	.....	.....	३१२
पैन अमेरिकी यूनियन	.....	.....	३१५
अन्तर-अमेरिकी व्यवस्था का संयुक्त-राष्ट्र-संघ के साथ समन्वय	.....	.....	३१७
च. प्रस्तावित यूरोपीय संघीय यूनियन	.....	.....	३१८
छ. अरब-लीग	.....	.....	३२०

## भाग तीन

## अन्तर्राष्ट्रीय-विधि के सारभूत नियम

## अध्याय ग्यारह--राज्यों का सामान्य अधिकार एवं कर्तव्य : समानता का सिद्धान्त

क. अन्तर्राष्ट्रीय अधिकारों का स्वरूप	.....	.....	३२५
आधारभूत अधिकारों का सिद्धान्त	.....	.....	३२५
निरंकुश-रूप में अधिकारों का संकल्पन	.....	.....	३२७
विद्यमान-विधि की अभिधारणा	.....	.....	३२८
ख. आधारभूत अधिकारों का घोषणा-पत्र	.....	.....	३३१
मान्टेविडो का अभिसमय	.....	.....	३३२
ग. अधिकार एवं कर्तव्य अन्योन्याश्रयी	.....	.....	३३३
घ. राज्यों की समानता	.....	.....	३३४
वातेल का प्रभाव	.....	.....	३३५
आधुनिक विधिवेत्ताओं के परस्पर-विरोधी मत	.....	.....	३३६
ड. सिद्धान्त का विनियोग	.....	.....	३३७
सारभूत अधिकारों की समानता	.....	.....	३३७
अधिकारों के संरक्षण के सम्बन्ध में समानता	.....	.....	३३८
विधि के नवीन नियमों को अंगीकार करने के विषय में समानता	.....	.....	३४०
च. महान् राज्यों की प्राथमिकता	.....	.....	३४१
इसका वैधिक प्रभाव	.....	.....	३४२
हेग कान्फेन्सों की प्रक्रिया	.....	.....	३४३
छ. प्रशासकीय अभिकरणों के सम्बन्ध में असमानता	.....	.....	३४४
ज. राष्ट्र-संघ का संगठन	.....	.....	३४४
झ. संयुक्त-राष्ट्र के चार्टर के प्राविधान	.....	.....	३४५
सुरक्षा-परिषद् के पाँच स्थायी सदस्यों का राजनीतिक प्रभाव	.....	.....	३४६
विधि के नवीन नियमों का अंगीकरण	.....	.....	३४७
आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग	.....	.....	३४८

## अध्याय बारह--राष्ट्रिक अस्तित्व का अधिकार : आत्म-रक्षा एवं सहकारी सुरक्षा

क. "अस्तित्व के अधिकार" की प्रकृति एवं क्षेत्र	.....	.....	३४९
सिद्धान्त बनाम तथ्य	.....	.....	३५०
ख. प्रत्यक्ष आक्रमण के विरुद्ध आत्म-रक्षा	.....	.....	३५१
युद्ध के समय आत्म-रक्षा	.....	.....	३५१
सन् १९१४ में जर्मनी का बेल्जियम पर आक्रमण	.....	.....	३५२
अनुत्तरदायी वर्गों के विरुद्ध सुरक्षा	.....	.....	३५३

ग. अप्रत्यक्ष आक्रमण की विभीषिका के विरुद्ध आत्म-रक्षा	३५५
पड़ोसी राज्यों के शस्त्रीकरण की विभीषिका	३५६
शक्ति-सन्तुलन	३५६
राष्ट्र-संघ के सम्बन्ध में आत्म-रक्षा	३५७
पेरिस-पैक्ट	३५८
घ. आत्म-रक्षा की नीति के रूप में मुनरो-सिद्धान्त	३६१
अन्तर्राष्ट्रीय-विधि द्वारा इसकी अप्रत्यक्ष मान्यता	३६४
मुनरो-सिद्धान्त का महाद्वीपीकरण	३६५
संयुक्त-राज्य के चार्टर के प्राविधान	३६६
ङ. अन्य राज्यों के समानान्तर सिद्धान्त	३६७
च. हस्तक्षेप आत्म-रक्षा के उपाय-रूप में	३६८
“मानवता के आधार पर” हस्तक्षेप	३७१
अन्तर्राष्ट्रीय उत्पात की समाप्ति	३७२
विधिवेत्ताओं के परस्पर-विरोधी मत	३७२
अहस्तक्षेप का अन्तर-अमेरिकी सिद्धान्त	३७३
गृह-युद्ध के समय में हस्तक्षेप	३७४
संयुक्त-राष्ट्र के चार्टर के प्रकाश में हाल के मामले	३७५
छ. राष्ट्रिक सम्मान की सुरक्षा	३७६
टेम्पिको घटना	३७६
ज. सहकारी सुरक्षा	३७७
राष्ट्र-संघ द्वारा स्थापित व्यवस्था	३७८
सहकारी सुरक्षा द्वारा प्रस्तुत समस्यायें	३७९
संयुक्त-राष्ट्र के चार्टर के प्राविधान	३७९
<b>अध्याय तेरह—राज्यों की स्वाधीनता : क्षेत्राधिकार के सामान्य अधिकार एवं दायित्व</b>	
क. “स्वाधीनता का अधिकार”	३८१
आन्तरिक स्वाधीनता	३८१
बाह्य स्वाधीनता	३८२
ख. स्वाधीनता एवं संप्रभुता	३८३
स्वाधीनता की भयार्थायें	३८४
“घरेलू प्रश्न”	३८५
ग. राष्ट्रिकों पर क्षेत्राधिकार : राष्ट्रिकता का निर्धारण	३८७
जन्म से राष्ट्रिकता	३८८
दावों के संघर्ष	३८९
घ. देशीकरण से राष्ट्रिकता	३९४

राष्ट्रिक दावों के संघर्ष : अमिट निष्ठा का सिद्धान्त	३६६
देशत्याग एवं राष्ट्रिकता की हानि	३६७
ड. निवाहित महिलाओं एवं बच्चों की विशेष स्थिति	३६६
केवल अधिनियम	४०१
मांटेविडो अभिसमय	४०२
बच्चों की स्थिति	४०३
च. राष्ट्र-हीनता	४०४
छ. राष्ट्रिकता की विधि का संहिताकरण	४०६
ज. विदेश में रहने वाले राष्ट्रिकों के कार्यों एवं सम्पत्ति पर नियन्त्रण	४०७
झ. राष्ट्रिकों से सम्बन्धित क्षेत्राधिकार पर निर्बन्धन :	
अल्पसंख्यक संधियाँ	४०८
ञ. विदेशियों पर क्षेत्राधिकार	४११
विदेशियों का अपवर्जन	४१२
विदेशियों का निर्वासन	४१५
निवासी विदेशियों की स्थिति	४१६
विशेष विदेशियों के विरुद्ध भेदभाव	४१७
ट. विदेशियों पर लागू आपराधिक क्षेत्राधिकार की मर्यादायें	४१६
गैर-ईसाई राज्यों में क्षेत्राधिकार से विदेशियों को विशेष छूट	४२०
अध्याय चौदह—निवासी विदेशियों के संरक्षण के लिए राज्य का	
अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व	४२३
क. सामान्य सिद्धान्त	४२४
निवासी विदेशियों का संरक्षण	४२६
“न्याय की अस्वीकृति”	४२७
न्याय का अन्तर्राष्ट्रीय मानक	४२७
“व्यवहार की समानता” का लैटिन अमेरिकी सिद्धान्त	४३०
ख. “राज्य के उत्तरदायित्व” का सिद्धान्त	४३२
सरकारी अधिकारियों एवं राज्य में सम्बन्ध	४३३
ग. व्यक्तियों के कार्य	४३६
छोटे कर्मचारियों के कार्य	४३७
घ. उत्तेजित भीड़ की हिंसा के कृत्य	४३६
विदेशी अधिकारियों को विशेष संरक्षण	४४०
ड. राज्य प्रतिरोधकों के कार्य	४४१
काल्वो सिद्धान्त	४४४
अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध के समय हुई हानियाँ	

ब. सरकारी अधिकारियों के कार्यों के लिए उत्तरदायित्व	४४४
राष्ट्रिक विधानमण्डलों के अधिनियम	४४५
प्रशासकीय अधिकारियों के कार्य	४४६
सू. राज्य एवं विदेशियों में सविशेष	४४७
काल्पो-धारा	४४८
ज. सार्वजनिक बौद्ध	४४९
हुँगो-सिद्धान्त	४५०
झ. संघीय सरकार की विशेष स्थिति : दुष्कृति में उत्तरदायित्व	४५१
सविदा का भंग होना	४५२
ञ. विदेशियों पर कराधान	४५३
<b>अध्याय पन्द्रह—विदेशी राज्यों के प्रति विशेष क्षेत्राधिकारिक दायित्व</b>	
क. विदेशी राज्यों के लिए हानिकारक कार्यों की रोकथाम	४५४
सशस्त्र गिरोहों द्वारा आक्रमण	४५४
विदेशी राज्य के विरुद्ध सैनिक अभियान	४५५
शस्त्रों का विक्रय	४५६
जल एवं वायु का प्रदूषण	४५६
विदेशी मुद्रा की जालसाजी	४५७
विदेशी सरकारों के विरुद्ध अपवचन एवं अपलेख	४५८
ख. राज्यों के कार्य	४६०
ग. विदेशी राज्यों की क्षेत्राधिकारिक निरापदतायें	४६२
विदेशी संप्रभुओं की व्यक्तिगत निरापदतायें	४६३
राजकीय संपत्ति की निरापदता	४६४
सहमति द्वारा क्षेत्राधिकार	४६५
घ. विदेशी राज्यों का मुकदमा चलाने का विशेषाधिकार	४६७
ङ. विधि का संहिताकरण	४६८
<b>अध्याय सोलह—गैर-सरकारी एवं सार्वजनिक जहाजों पर क्षेत्राधिकार</b>	
क. प्रादेशिक सीमाओं के बाहर क्षेत्राधिकार	४६९
ख. व्यापारिक जहाजों का राष्ट्रिक स्वरूप	४७०
व्यापारिक जहाजों पर क्षेत्राधिकार का सैद्धान्तिक आधार	४७१
सामान्य सिद्धान्त के अपवाद	४७२
ग. विदेशी बन्दरगाहों में व्यापारिक जहाजों पर क्षेत्राधिकार	४७३
आन्तरिक अनुशासन से सम्बन्धित विषय	४७५
शराब के भण्डार	४७५
	४७६

बन्दरगाह में विदेशी जहाजों के विरुद्ध दीवानी मुकदमे	४८८
अनेक राज्यों का समवर्ती क्षेत्राधिकार	४८९
महासमुद्र में टक्कर के मुकदमों में क्षेत्राधिकार	४९१
उबार के लिए मुकदमों में क्षेत्राधिकार	४९२
विदेशी व्यापारिक जहाजों पर शरण	४९४
घ. राष्ट्रिक बन्दरगाहों में विदेशी सार्वजनिक जहाजों की स्थिति	४९५
दीवानी मुकदमों से सार्वजनिक जहाजों को छूट	४९६
ऐसी छूट से संबद्ध कठिनाइयाँ	५००
विदेशी युद्ध-पोतों पर शरण	५०१
ड. महासमुद्र पर समवर्ती क्षेत्राधिकार : जलदस्युता का दमन	५०३
जलदस्युता एवं दस्यु-पोत	५०३
राज्य-प्रतिरोधकों की सेवा में लगे जहाजों की स्थिति	५०६
"शराब वाहक" एवं "मदिरा के अवैधानिक व्यवसाइयों को	५०६
धमकाकर लाभ उठाने वाले व्यक्ति"	५०६
पनडुब्बियाँ "जलदस्यु" के रूप में	५०७
दास व्यापार का दमन	५०७
<b>अध्याय सत्रह—राज्यों में क्षेत्राधिकारिक सहयोग : फरार अपराधियों का</b>	
प्रत्यर्पण; साक्ष्य के लिए; सौजन्य	५१२
क. प्रत्यर्पण का वैधिक आधार	५१४
ख. प्रत्यर्पण संधियों से संबद्ध शर्तें : उल्लिखित अपराध	५१५
नागरिकों का प्रत्यर्पण	५१५
परस्परता का प्रश्न	५२०
अप्रत्यर्पित नागरिकों पर अभियोग चलाने का दायित्व	५२०
राजनीतिक अपराध सदैव अपवाद	५२३
भूतपूर्व कैसर के प्रत्यर्पण का प्रयास	५२४
ग. समरूप नियम की आवश्यकता	५२६
घ. साक्ष्य के लिए	५२७
क्षेत्राधिकार के मामलों में सौजन्यता	५२८
व्यक्तिगत अन्तर्राष्ट्रीय-विधि का क्षेत्र	५२९
विधियों के विरोध का नियमन करने वाले अभिसमय	५२९
<b>अध्याय अठारह—प्रदेश पर क्षेत्राधिकार : हक-</b>	
क. प्रदेश पर व्यक्तियों से भिन्न क्षेत्राधिकार	५३१
प्रादेशिक क्षेत्राधिकार की प्रकृति	५३१

संप्रभुता एवं स्वामित्व	.....	.....	५३२
ख. प्रदेश के हक का अर्जन	.....	.....	५३३
दखल द्वारा हक	.....	.....	५३३
दखल की परिस्थितियाँ	.....	.....	५३६
दखल के क्षेत्र की परिसीमा	.....	.....	५४०
औपनिवेशिक संरक्षित-राज	.....	.....	५४३
भीतरी-प्रदेश का परिसीमन	.....	.....	५४४
हाल के प्रादेशिक विवाद : पूर्वी ग्रीनलैंड	.....	.....	५४५
ग्रैन चाको	.....	.....	५४६
उत्तर-ध्रुवीय एवं दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्रों में हक	.....	.....	५४६
ग. संवर्धन द्वारा हक	.....	.....	५५२
घ. भोगाधिकार द्वारा हक	.....	.....	५५३
अन्तर्राष्ट्रीय-विधि में भोगाधिकार द्वारा प्रस्तुत योगदान	.....	.....	५५४
ङ. ऐच्छिक अर्पण द्वारा हक	.....	.....	५५६
अर्पण के प्रकार	.....	.....	५५७
च. बलात् अर्पण द्वारा हक : विजय	.....	.....	५५८
“शान्ति-संधियों” द्वारा अर्पण	.....	.....	५५९
वैधिक हक देने के लिए विजय का प्रत्याख्यान	.....	.....	५६०
सन् १९४७ की “शान्ति-संधियाँ”	.....	.....	५६१
अटलांटिक चार्टर	.....	.....	५६१
छ. जनमत-संग्रह हस्तान्तरण की शर्त के रूप में	.....	.....	५६२
उन्नीसवीं शताब्दी की प्रथा	.....	.....	५६३
सन् १९१९ में प्रदेश के हस्तान्तरण से संबंधित जनमत-संग्रह	.....	.....	५६५
सन् १९४७ की संधियाँ	.....	.....	५६७
निवासियों का व्यक्तिगत विकल्प	.....	.....	५६७
लौसाने संधि के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण	.....	.....	५६९
ज. दबाव के अन्तर्गत आत्मीकरण	.....	.....	५७०
झ. पट्टे	.....	.....	५७१
पनामा नहर-क्षेत्र का पट्टा	.....	.....	५७२
अध्याय उन्नीस—प्रदेश पर क्षेत्राधिकार : राष्ट्रिक सीमायें एवं प्रादेशिक जलाशय	.....	.....	५७४
क. विधि के स्रोत	.....	.....	५७५
ख. सीमा-रेखाओं का निर्धारण	.....	.....	५७५
“प्राकृतिक” एवं कृत्रिम सीमायें	.....	.....	५७५
ग. सीमा विभाजक के रूप में जलाशय	.....	.....	५७६

घ. सीमाओं के रूप में नदियाँ : मध्य-धारा	.....	५७७
न्यूजर्सी बनाम डेलावेयर	.....	५७७
अपरदन एवं अपदारण का प्रभाव	.....	५७९
पुलों पर विभाजक रेखा	.....	५८१
ङ. सीमावर्ती जलसंधियाँ एवं झीलें	.....	५८१
च. सामुद्रिक-सीमा : भूभागी-सागर	.....	५८२
"समुद्री-प्रकोश" अथवा "तीन मील की सीमा"	.....	५८२
सामुद्रिक-प्रकोश का और विस्तार : तस्कर रोकने के उपाय	.....	५८५
अटारहवें संशोधन द्वारा उठाए गए विषय	.....	५८७
महाद्वीपीय मग्नतट-भूमि पर क्षेत्राधिकार का विस्तार	.....	५९०
मत्स्य-क्षेत्र के लिए संरक्षी-क्षेत्र	.....	५९१
"तीव्र-पीछा" करने का सिद्धान्त	.....	५९२
छ. खाड़ी एवं आखात	.....	५९४
प्रादेशिक खाड़ियों में भोगाधिकार सम्बन्धी अधिकार	.....	५९४
उत्तर-अटलांटिक मत्स्य-क्षेत्र का मुकदमा	.....	५९६
अभिसमयगत समझौते	.....	५९७
ज. प्रादेशिक जलसंधियाँ	.....	५९८

अध्याय बीस—प्रदेश के क्षेत्राधिकार पर निर्बन्धन : सुविधाधिकार एवं अधिसेविता

क. अधिसेविता की परिभाषा	.....	६००
अधिसेविता की वैधिक प्रकृति	.....	६०१
ख. सामान्य अधिसेवितायें : नदियों पर अधिसेवितायें : राइन एवं डेन्यूब	.....	६०२
उत्तर-अमेरिकी नदियाँ	.....	६०४
दक्षिण-अमेरिकी एवं अफ्रीकी नदियाँ	.....	६०६
सन् १९१९ की शांति-संधियों के प्राविधान	.....	६०७
बारसीलोना अभिसमय	.....	६०८
नदियों का बहाव	.....	६०९
ग. खाड़ियाँ एवं आखात	.....	६१२
झीलें एवं स्थलरुद्ध सागर	.....	६१२
भूभागी-सागर	.....	६१४
घ. जलसंधियाँ एवं नहरें	.....	६१५
डारडेनेलेस एवं बोसपोरस	.....	६१६
कोफूर् की जलसंधियाँ	.....	६१९



स्वेज़-नहर	.....	६२०
पनामा नहर	.....	६२३
सन् १९१९ की संधि के अन्तर्गत कील नहर	.....	६२५
ड. भू-प्रदेश सामान्य अधिसेविता के अधीन नहीं	.....	६२६
च. विशेष अधिसेवितायें	.....	६२७
सकारात्मक अधिसेवितायें : उत्तर अटलांटिक मत्स्य-क्षेत्र का मुकदमा	.....	६२८
रेलवे	.....	६२९
मार्ग के अधिकार	.....	६२९
नकारात्मक अधिसेवितायें	.....	६३१
सन् १९४७ की संधियों के विसैन्यीकरण सम्बन्धी प्राविधान	.....	६३३
<b>अध्याय इक्कीस — राष्ट्रिक प्रदेश के वायु-क्षेत्र पर क्षेत्राधिकार</b>		
क. विमान-चालन की विधि : सामान्य सिद्धान्त	.....	६३५
प्रथम विश्व-युद्ध का परिणाम	.....	६३६
सन् १९१९ का विमान-चालन का अभिसमय	.....	६३७
सन् १९२८ का हवाना अभिसमय	.....	६३९
शिकागो नागरिक विमानन कान्फ्रेंस	.....	६४०
विमान-सेवा पारगमन समझौता	.....	६४१
वायु-यातायात समझौता	.....	६४२
संकट के समय अहानिकर गमन का अधिकार	.....	६४३
ख. रेडियो संचार की विधि	.....	६४३
सन् १९०६ एवं सन् १९१२ के अभिसमय	.....	६४४
सन् १९२७ का वाशिंगटन अभिसमय	.....	६४५
सन् १९३२ का दूरसंचार अभिसमय	.....	६४६
<b>अध्याय बाईस — महासमुद्र</b>		
क. महासमुद्र सभी राष्ट्रों के प्रयोग के लिए खुले हैं	.....	६४९
एकान्तिक क्षेत्राधिकार के पुराने दावे	.....	६४९
लेखकों के परस्पर-विरोधी सिद्धान्त	.....	६५०
राज्यों का आधुनिक व्यवहार	.....	६५२
ख. सागर की विधि	.....	६५३
टक्करों की रोक के लिए विनियमन	.....	६५४
ग. महासमुद्र पर मछली पकड़ने का विनियमन	.....	६५५
बेरिंग-सागर सील मत्स्य-क्षेत्र का मुकदमा	.....	६५५
हेलिवट एवं सालमन मत्स्य-क्षेत्र	.....	६५६

महाद्वीपीय मग्न तट-भूमि के साधनों का नियन्त्रण	.....	६५८
घ. समुद्री केबलों का विनियमन	.....	६५९
ङ. युद्ध के समय समुद्रों की स्वाधीनता	.....	६६०
समुद्रों की स्वाधीनता शांति की शर्त-रूप में....	.....	६६१
अन्तर्राष्ट्रीय अनुशास्तियों से समुद्रों की स्वाधीनता का सम्बन्ध	.....	६६२
अटलांटिक चार्टर	.....	६६४